[redacted] लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत भीम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत भीम

प्रकरण सं. – 62/2013 रे0वा0 निर्णय दिनांक– 02.07.2015

अनवान

1. श्रीमति मांगीदेवी पत्नि रमेशकुमार उर्फ रमेशचन्द जाति मेघवाल निवासी न्यू विजय कॉलोनी भीम
2. सुश्री टीना पुत्री रमेशकुमार उर्फ रमेशचन्द जाति मेघवाल नाबालिग जरिये संरक्षक माता मांगीदेवी पत्नि रमेशकुमार उर्फ रमेशचन्द जाति मेघवाल निवासी भीम
3. राहुल पुत्र रमेशकुमार उर्फ रमेशचन्द जाति मेघवाल नाबालिग जरिये संरक्षक माता मांगीदेवी पत्नि रमेशकुमार उर्फ रमेशचन्द जाति मेघवाल निवासी भीम
4. कुलदीप पुत्र रमेशकुमार उर्फ रमेशचन्द जाति मेघवाल नाबालिग जरिये संरक्षक माता मांगीदेवी पत्नि रमेशकुमार उर्फ रमेशचन्द जाति मेघवाल निवासी भीम

वादीगण

बनाम

1. श्रीमति डालीदेवी पत्नि दुर्गाराम जाति बलाई निवासी न्यू विजय कॉलोनी भीम तहसील भीम
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम

प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए

यह कि ग्राम भीम पटवार हल्का भीम तहसील भीम के खसरा नम्बर 8844 रकबा 18 विस्वा किस्म आबादी भूमि में से 1200 वर्गफीट वादीगणो की आवासीय भुमि आई हुई है।

यह कि मुझ वादिया के पति द्वारा प्रतिवादी के पति से दिनांक 06.06.2006 को आराजी ग्राम भीम खाता संख्या 222 खसरा संख्या 8844 रकबा 18 विस्वा भूमि आबादी मे से 40 गुणा 30 कुलिया 1200 वर्गफीट का तलिया विक्रय पत्र पंजीयन करवाकर खरीदा गया। जो उत्तर में 40 फीट, दक्षिण में 40 फीट, पूर्व में 30 फीट व पश्चिम में 30 फीट लम्बाई गुणा चौडाई में स्थित है जिसके पडोस निम्न प्रकार है:– उत्तर में 8 फीट रोड, दक्षिण मे विक्रेता का प्लॉट पूर्व मे रास्ता 18 फीट का एवं पश्चिम में भवरलाल जी की भूमि स्थित है। मुझ वादिया का सजरा निम्न प्रकार है।:–

रमेशचन्द का सजरा

टीना पुत्री — राहुल पुत्र — कुलदीप पुत्र — मांगीदेवी पत्नि

उपरोक्त सजरा अनुसार वादिया के पति द्वारा क्रय की गई भूमि पर वादीया व वादिया के पुत्रो–पुत्री का समान हक व अधिकार है। मुझ वादिया के पति द्वार क्रय की गई भूमि के नामान्तकरण दिनांक 08.11.2010 को नामान्तकरण विरासत से दुर्गा पिता घीसा के बजाय मु.डाली बेवा दुर्गाराम बलाई के नाम दर्ज कर दिये गये। जबकि उक्त खसरा नम्बर से 1200 वर्गफीट भूमि दिनांक 06.06.2006 को मुझ वादिया के पति द्वारा प्रतिवादी के पति से विक्रय पत्र पंजीयन करवाकर क्रय की व कब्जा प्राप्त किया जबसे ही मुझ वादिया के पति का कब्जा चला आ रहा था उक्त भूमि पर मुझ वादिया के पति द्वारा मकान निर्माण करवाया गया जब से ही उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है।

मुझ वादिया द्वारा उक्त भूमि पर बने मकान पर ऋण लेने हेतु नकल निकलवाई तो पता चला कि उक्त भूमि मुझ वादिया के पति के नाम दर्ज ही नही है वादिया व वादिया के वारिस उक्त विक्रय पत्र पंजीयनके नामान्तकरण अपने नाम करवाने के हकदार है उक्त भूमि पर वादीगण को खातेदार घोषित कर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावे कि उक्त विक्रय पत्र पंजीयन शुदा में दर्ज भूमि का वादीगण को उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प भीम मे पेश हुआ**। वादी का वादपत्र आपसी सहमति स्वीकार किया जाकर मौजा भीम के आराजी नम्बर 8844 मे रकबा 18 विस्वा भूमि वादीगण का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम